राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर

1. अपील संख्या – 831/2012/कोटा

वाणिज्यिक कर अधिकारी,
वर्क्स टैक्स, कोटा। .....अपीलार्थी

बनाम

मैसर्स टाटा प्रोजेक्ट लि.,
कोटा। ....प्रत्यर्थी.

2. अपील संख्या – 1024/2012/कोटा

मैसर्स टाटा प्रोजेक्ट लि.,
कोटा। .....अपीलार्थी

बनाम

वाणिज्यिक कर अधिकारी,
वर्क्स टैक्स, कोटा। ....प्रत्यर्थी.

खण्डपीठ
श्री नत्थूराम, सदस्य
श्री मदनलाल मालवीय, सदस्य

उपस्थित ::

श्री एम.एल.पाटौदी,
अभिभाषक। ....व्यवहारी की ओर से.
श्री अनिल पोखरणा,
उप राजकीय अभिभाषक। ....प्रत्यर्थी की ओर से.

निर्णय दिनांक : 17.01.2018

निर्णय

1. अपीलार्थीगण द्वारा यह दोनों अपीलें उपायुक्त (अपील्स), वाणिज्यिक कर, अजमेर (जिसे आगे **'अपीलीय अधिकारी'** कहा जायेगा) के द्वारा क्रमशः अपील संख्या 74/वैट/10–11/कोटा एवं 75/वैट/10–11/कोटा में पारित किये गये संयुक्त आदेश दिनांक 01.12.2011 के विरूद्ध राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम, 2003 (जिसे आगे **'अधिनियम'** कहा जायेगा) तहत् प्रस्तुत की गयी हैं। अपीलीय अधिकारी ने उक्त आदेश से वाणिज्यिक कर अधिकारी, वर्क्स टैक्स, कोटा (जिसे आगे **'कर निर्धारण अधिकारी'** कहा जायेगा) द्वारा पारित कर निर्धारण आदेश दिनांक 28.09.2010 द्वारा व्यवहारी पर लगाये गये ई.सी. शुल्क राशि को 1.50 प्रतिशत के स्थान पर 2.25 प्रतिशत किये जाने को अपील संख्या 831/2012 में अपास्त किया गया है, एवं अपील संख्या 1024/2012 में यथावत रखा गया है।

2. इन दोनों प्रकरणों में विवादित बिन्दु समान होने से इनका निस्तारण एक संयुक्तादेश से किया जाकर निर्णय की प्रति प्रत्येक पत्रावली पर पृथक–पृथक रखी जा रही है।

3. उपरोक्त अपीलों में व्यवहारी ने क्रमशः Civil construction works of balance of Plant (BOP) Packeg of 1 x 80 MW Captive Power Plant at Zawar Tehsil Sarada Dist. Udaipur से कार्यादेश क्रमांक 007 दिनांक 12.02.2007 एवं Erection, Testing and Commissioning including civil construction works of balance of Plant (BOP) Packeg of 1 x 195 MW Kota super thermal power station unit-7 stage-7 stage-5 at Kota से कार्यादेश क्रमांक 3708 दिनांक 01.11.2006 द्वारा कार्य प्राप्त किया। कर निर्धारण अधिकारी द्वारा उक्त कार्य हेतु मुक्ति

लगातार.....2

शुल्क प्रमाण पत्र 1.5 प्रतिशत से मुक्ति शुल्क हेतु जारी किया गया। तत्पश्चात् कर निर्धारण अधिकारी ने कर निर्धारण करते हुए आदेश दिनांक 28.09.2010 द्वारा मुक्ति प्रमाण पत्र को 1.5 प्रतिशत के स्थान पर 2.25 प्रतिशत मानकर आदेश पारित कर दिया। कर निर्धारण अधिकारी द्वारा पारित उक्त आदेश के विरूद्ध व्यवहारी द्वारा अपीलीय अधिकारी के समक्ष अपील प्रस्तुत करने पर उन्होंने अपने अपीलाधीन आदेश दिनांक 01.12.2011 से प्रथम अपील को स्वीकार किया एवं द्वितीय अपील को अस्वीकार करते हुए आदेश पारित कर दिया। अपीलीय अधिकारी द्वारा पारित उक्त आदेश से क्षुब्ध होकर अपीलार्थी विभाग एवं व्यवहारी द्वारा यह दोनों अपीलें प्रस्तुत की गई है।

4. उभयपक्षों की बहस सुनी गई।

5. व्यवहारी की ओर से विद्वान अभिभाषक ने उपस्थित होकर अपील संख्या 1024/2012 के संबंध में कथन किया कि व्यवहारी द्वारा कोटा सूपर थर्मल पॉवर स्टेशन, कोटा से विभिन्न निर्माण कार्यो हेतु कार्य संविदा आदेश प्राप्त करके कार्य किया एवं इस संबंध में कर के स्थान पर मुक्ति शुल्क भुगतान हेतु आवेदन किया गया था तथा विद्वान निर्धारण अधिकारी ने व्यवहारी को मुक्ति शुल्क भुगतान के लिये पात्र पाये जाने पर, इस संबंध में कर के स्थान पर मुक्ति शुल्क भुगतान हेतु **"मुक्ति प्रमाण पत्र"** 1.5 प्रतिशत की दर से जारी किया गया था। परन्तु बाद में कर निर्धारण करते हुए मुक्ति शुल्क को 1.5 प्रतिशत के स्थान पर 2.25 प्रतिशत मानकर आदेश दिनांक 28.09.2010 पारित कर दिया, जो विधिसम्मत नहीं है। अपने कथन के समर्थन में उन्होंने **माननीय कर बोर्ड का निर्णय टीयूडी 31 पार्ट 2 पेज 42 सहायक आयुक्त बनाम मैसर्स यूनिटेक लिमिटेड, अलवर निर्णय दिनांक 09.08.2011** का प्रतिपादन किया। आगे अपने कथन में उन्होंने ई.सी. दर को 2.25 प्रतिशत के स्थान पर पुनः 1.5 प्रतिशत करने का निवेदन कर व्यवहारी द्वारा प्रस्तुत अपील को स्वीकार करते हुए विभाग द्वारा प्रस्तुत अपील को अस्वीकार करने का निवेदन किया।

6. विभाग की ओर से उप राजकीय अभिभाषक ने उपस्थित होकर अपील संख्या 831/2012 के संबंध में कथन किया कि Civil construction works of balance of Plant (BOP) Packeg of 1 x 80 MW Captive Power Plant at Zawar Tehsil Sarada Dist. Udaipur का कार्य प्लांट से संबंधित होने के कारण राजस्थान सरकार द्वारा जारी अधिसूचना दिनांक 11.08.2006 के अनुसार इस पर 2.25 प्रतिशत से मुक्ति शुल्क का दायित्व बनता है। आगे अपने कथन में उन्होंने अपील संख्या 831/2012 में अपीलीय अधिकारी द्वारा पारित आदेश को अपास्त कर ई.सी. दर को 1.5 प्रतिशत के स्थान पर पुनः 2.25 प्रतिशत करने का निवेदन कर व्यवहारी द्वारा प्रस्तुत अपील को अस्वीकार करते हुए विभाग द्वारा प्रस्तुत अपील को स्वीकार करने का निवेदन किया।

7. उभयपक्षों की बहस पर मनन किया गया, एवं उपलब्ध रेकॉर्ड का अवलोकन किया गया। रेकॉर्ड के अवलोकन से स्पष्ट है कि कर निर्धारण अधिकारी द्वारा व्यवहारी को मुक्ति प्रमाण पत्र 1.5 प्रतिशत की दर से जारी किया गया, परन्तु बाद में इसमें संशोधन करते हुए कर निर्धारण आदेश पारित कर इस दर को 2.25 प्रतिशत कर दी गई। अपील संख्या 831/2012 के संबंध में उल्लेखनीय है कि व्यवहारी द्वारा Civil construction works of

लगातार.....3

balance of Plant (BOP) Packeg of 1 x 80 MW Captive Power Plant at Zawar Tehsil Sarada Dist. Udaipur कार्य किया गया, यह कार्य **"सिविल कार्य"** की प्रकृति का है, एवं राज्य सरकार की अधिसूचना दिनांक 11.08.2006 के अनुसार सिविल कार्य पर ई.सी. दर 1.5 प्रतिशत ही है, अतः विभाग द्वारा प्रस्तुत की गई अपील संख्या 831/2012 अस्वीकार की जाती है।

8. अपील संख्या 1024/2012 के संबंध में यह उल्लेखनीय है व्यवहारी द्वारा Erection, Testing and Commissioning including civil construction works of balance of Plant (BOP) Packeg of 1 x 195 MW Kota super thermal power station unit-7 stage-7 stage-5 at Kota कार्य किया गया, इस संबंध में कि माननीय उच्च **न्यायालय ने SB civil/misc/STR No./ 107/2010 मैसर्स रमेश कुमार बंसल ठेकेदार बनाम वाणिज्यिक कर अधिकारी, श्रीगंगानगर** में दिये गये निर्णय दिनांक 13.12.2011 में यह अभिमत प्रकट किया है कि कर निर्धारण अधिकारी को अधिसूचना दिनांक 11.08.2006 के तहत् जारी कर मुक्ति प्रमाण पत्र (ई.सी.) में संशोधन करने का अधिकार है। इस प्रकार यदि कोई **apparent mistake on record** अर्थात् रेकॉर्ड पर परिलक्षित भूल पायी जाती है तो इसे अधिनियम की धारा 33 में संशोधन किया जा सकता है। हस्तगत प्रकरण में भी अर्वाड्र द्वारा जारी किये गये कार्य की प्रकृति "Works contract relating to installation of plant 7 Machinery including PSPO, water treatment plant, laying of pipe line with material." पर 2.25 प्रतिशत से मुक्ति की श्रेणी में आता है, इस प्रकार अपीलीय अधिकारी द्वारा पारित आदेश में किसी भी प्रकार की त्रुटि नहीं होने के कारण अपीलीय अधिकारी द्वारा पारित आदेश 01.12.2011 यथावत् रखा जाता है, एवं अपीलार्थी विभाग एवं व्यवहारी द्वारा प्रस्तुत की गई दोनों अपीलें अस्वीकार की जाती हैं।

निर्णय सुनाया गया।

(मदनलाल मालवीय)
सदस्य

(नत्थूराम)
सदस्य